



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर, 2018-आश्विन 13, शके 1940

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की त्रैसठवीं वार्षिक साधारण बैठक मंगलवार, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 को दोपहर 04:00 बजे "वित्त भवन" मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा:-

- 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के संबंध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार.
- वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु सांविधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार.
- अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे.

निगम की अंशबही दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 से 30 अक्टूबर, 2018 तक (दोनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी.

नोट:-

- त्रैसठवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 23 अक्टूबर, 2018 तक पहुँच जाना चाहिए.
- प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व अर्थात् 17 अक्टूबर, 2018 तक पहुँच जाना चाहिए.
- अंशधारियों की सूची एक रुपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी.

26 सितम्बर, 2018

"वित्त भवन"

मुम्बई-आगरा मार्ग,

इन्दौर-452 001

(537-बी.)

संचालक मण्डल की आज्ञानुसार.

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 63<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the Shareholders of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the Corporation, "Finance House", Mumbai - Agra Road, Indore, on Tuesday, the 30<sup>th</sup> October 2018 at 4.00 pm to transact the following business :-

1. To read and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year which ended on 31<sup>st</sup> March, 2018 (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.
2. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2018-19.
3. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

The Share Register of the Corporation will remain close from 10<sup>th</sup> October, 2018 to 30<sup>th</sup> October, 2018 (both days inclusive).

**NOTES:-**

- (a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 63<sup>rd</sup> Annual General Meeting should reach the office of the Corporation not later than four clear days *i.e.* 23<sup>rd</sup> October, 2018.
- (b) Proxies should reach the office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting *i.e.* 17<sup>th</sup> October, 2018.
- (c) Lists of Shareholders are available at the office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per copy, three weeks before the date fixed for the meeting.

By Order of the Board of Directors

26<sup>th</sup> September, 2018  
"Finance House"  
Mumbai-Agra Road,  
INDORE-452 001.

**SMITA BHARADWAJ,**  
Managing Director.

(537-A-B.)

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सोनिया साहू पुत्री श्री चंद्रभान साहू, निवासी छतरपुर, अपना उपनाम साहू के स्थान पर राठौर करवाना चाहती हूँ. अतः मुझे सोनिया राठौर पुत्री श्री चन्द्रभान राठौर के नाम से सामाजिक एवं शासकीय दस्तावेजों में जाना जावे.

पुराना नाम :

( सोनिया साहू )

(527-बी.)

नया नाम :

( सोनिया राठौर )

पुत्री चंद्रभान राठौर.

**नाम परिवर्तन**

मैं, पीयूष आनंद राय, आयु 31 वर्ष, आत्मज श्री प्रभात विश्वास, निवासी ग्राम पोस्ट देवरी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.) घोषणा करता हूँ कि मेरा पूर्व में शिक्षा अभिलेखों में एवं समस्त अभिलेखों में भूलवश मेरे घर का नाम पप्पु विश्वास आत्मज श्री प्रभात विश्वास लिखवा दिया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है. अतः मेरा सही नाम पीयूष आनंद राय आत्मज श्री प्रभात विश्वास है और भविष्य में मैं इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा एवं मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों सहित अन्य अभिलेखों में भी पुराने त्रुटिपूर्ण नाम के स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( पप्पु विश्वास )

(528-बी.)

नया नाम :

( पीयूष आनंद राय )

आत्मज श्री प्रभात विश्वास,  
निवासी-ग्राम पोस्ट देवरी, तहसील उदयपुरा,  
जिला रायसेन (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

नरेन्द्रकुमार पिता स्व. मिश्रीलालजी जैन, निवासी टोंकखुर्द, जिला देवास उक्त पते पर स्थाई रूप से निवास करता हूँ मेरे राशनकार्ड, परिचय-पत्र, मूल निवासी, शिक्षा रिकार्ड तथा नगर परिषद् टोंकखुर्द के सम्पत्ति कर व जल कर रिकार्ड में नरेन्द्र कुमार ही नाम अंकित है किन्तु मेरे का नाम घर का नाम विमल कुमार भी था और विमल कुमार भी मेरे को बोलते थे. दोनों ही नाम का एक ही व्यक्ति हूँ मेरे पुत्र अर्चित जैन के विद्यालयीन रिकार्ड में पिता के स्थान पर विमल जैन अंकित करवा दिया है, जबकि नरेन्द्र कुमार अंकित होना था. इस कारण पिता का नाम दो होने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है. अब मेरा नाम नरेन्द्र कुमार पिता स्व. मिश्रीलालजी जैन, निवासी टोंकखुर्द ही है और इसी नाम से जाना पहचाना जाता हूँ जहां कहीं भी शासकीय रिकार्ड में विमल अंकित है उसके स्थान पर नरेन्द्र कुमार ही पढ़ा जावे और माना जावे.

पुराना नाम :

**( विमल )**

पिता स्व. श्री मिश्रीलाल जैन.

(529-बी.)

नया नाम :

**( नरेन्द्र कुमार )**पिता स्व. श्री मिश्रीलाल जैन,  
निवासी-टोंकखुर्द, जिला देवास (म.प्र.).**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है. कि विवाह के पूर्व में मेरा नाम किरण कसेरा पिता आनन्दीलाल कसेरा था. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती किरण यादव पति हरिकेश यादव हो गया है. अतः अब मुझे श्रीमती किरण यादव पति हरिकेश यादव के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

**( किरण कसेरा )**

पिता आनन्दी लाल कसेरा.

(530-बी.)

नया नाम :

**( किरण यादव )**पति हरिकेश यादव,  
4, माडल विलेज कॉलोनी,  
लालबाग लाईन, इन्दौर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

मेरा नाम श्रीमती राजकुमारी पति निर्मल राजानी है एवं मैं, श्रीमती दीपा पति निर्मल राजानी के नाम से भी जानी-पहचानी जाती हूँ. मेरा नाम कुछ दस्तावेजों में श्रीमती राजकुमारी पति निर्मल राजानी एवं कुछ दस्तावेजों में श्रीमती दीपा पति निर्मल राजानी अंकित है. उक्त दोनों मेरे ही नाम होकर एक ही व्यक्ति के नाम है. मेरे द्वारा अब मेरे नाम श्रीमती दीपा पति निर्मल राजानी के नाम से कार्य करना बंद कर दिया है एवं मेरे द्वारा उक्त नाम श्रीमती दीपा पति निर्मल राजानी का उपयोग अब किसी स्थान/दस्तावेज पर नहीं किया जाता है. वर्तमान में मैं केवल श्रीमती राजकुमारी पति निर्मल राजानी के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ. अतः अब मुझे श्रीमती राजकुमारी पति निर्मल राजानी के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं इसी नाम से मुझे सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम :

**( दीपा )**

पति निर्मल राजानी.

(531-बी.)

नया नाम :

**( राजकुमारी )**पति निर्मल राजानी,  
161, पलसीकर कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम चन्द्रलेखा गुप्ता पति राकेश नीमा था. जिसे बदलकर मैंने चन्द्रलेखा नीमा पति राकेश नीमा कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे इसी परिवर्तित नाम चन्द्रलेखा नीमा पति राकेश नीमा के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

**( चन्द्रलेखा गुप्ता )**

पति राकेश नीमा.

(538-बी.)

नया नाम :

**( चन्द्रलेखा नीमा )**

पति राकेश नीमा.

**उपनाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार दिनेश मालवीय पिता स्व. श्री पूनमचंद, माता श्रीमती समोतीबाई मालवीय, निवासी खेड़ीघाट, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन (म.प्र.) हा. नि. फारेस्ट कॉलोनी वन परिक्षेत्र गोटेगाँव, तहसील गोटेगाँव, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) को आज दिनांक के पूर्व दिनेश यादव नाम से जाना-पहचाना जाता था. आज दिनांक से मेरे पक्षकार को दिनेश मालवीय नाम से जाना व पहचाना जावे एवं दिनेश मालवीय के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक दस्तावेजों में उक्त दिनेश यादव नाम के स्थान पर आज दिनांक से परिवर्तित सरनेम यादव के स्थान पर मालवीय होकर वास्तविक नाम दिनेश मालवीय नाम संस्थापित करवा रहा है, जिससे मेरे पक्षकार को आज दिनांक से दिनेश मालवीय नाम से जाना-पहचाना जाकर संबंधित किया जावे.

अतः उक्त आशय ही जाहिर सूचना जानिए.

(532-बी.)

**चन्द्रभान सेन,**  
(एडवोकेट)  
गोटेगाँव, जिला नरसिंहपुर.

**नाम परिवर्तन**

मैं, दिव्या जैन पुत्री श्री मुकेश जैन, निवासी 205, शुभदीप अपार्टमेंट, सातभाई की गोठ, लक्ष्मीगंज, लशकर, ग्वालियर में निवास करती हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम श्रेया जैन अंकित है जबकि कुछ अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम दिव्या जैन अंकित है. उक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं एवं मेरे समस्त रिकार्ड जैसे मार्कशीट, आधारकार्ड एवं पैनकार्ड में मेरा नाम दिव्या जैन अंकित है. भविष्य में मुझे दिव्या जैन के नाम से ही जाना व पहचाना जावे. समस्त सूचित हो.

पुराना नाम :

( श्रेया जैन )

पुत्री श्री मुकेश जैन.

नया नाम :

( दिव्या जैन )

पुत्री श्री मुकेश जैन,  
205, शुभदीप अपार्टमेंट,  
लक्ष्मीगंज, लशकर, ग्वालियर.

(533-बी.)

**CHANGE OF NAME**

It is for general information that I, Shiv Govind S/o Late Gaya Prasad Employed as 506, Army base workshop, Jabalpur token No. 0944 A/M residing at H. No. 536, Shanti Nagar, Vehicle Road, Ambedkar Ward No. 62, Ranjhi Jabalpur M.P. declare that name of mine my name has been wrongly written as Shiv Govind in my service Book. The natural name of mine my name is Shiv Govind Patel respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Old Name:

( SHIV GOVIND )

New Name :

( SHIV GOVIND PATEL )

S/o Late Gaya Prasad,  
Residing at H. No. 536, Shanti Nagar,  
Vehicle Road, Ambedkar Ward No. 62,  
Ranjhi, Jabalpur (M.P.).

(534-B.)

**CHANGE OF SURNAME**

I, Rakesh Gupta have changed my name to RAKESH NEEMA S/o RAMNIWAS GUPTA and now I would known as RAKESH NEEMA S/o RAMNIWAS GUPTA.

Old Name:

( RAKESH GUPTA )

S/o Ramniwas Gupta.

New Name :

( RAKESH NEEMA )

S/o Ramniwas Gupta.

(539-B.)

**नाम परिवर्तन**

मैं, अर्चना डावर सर्व-साधारण को यह सूचित करती हूँ कि शादी के पूर्व मेरा नाम अर्चना सिंगार पिता श्री दशरथ सिंह सिंगार था, अब मेरा विवाह हो जाने के बाद मेरा नाम अर्चना डावर पति श्री प्रेम सिंह डावर हो गया है। अब मुझे अर्चना डावर पति प्रेम सिंह डावर के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

**( अर्चना सिंगार )**

पिता श्री दशरथ सिंह सिंगार.

(545-बी.)

नया नाम :

**( अर्चना डावर )**

पति प्रेम सिंह डावर.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि कुछ समय पूर्व मेरा नाम Juhi Batham था, जिसे अब बदलकर Juuhi Kummar कर लिया है। अतः अब मुझे मेरे पति व बच्चों के समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नये नाम Juuhi Kummar से ही लिखा पढ़ा जावे।

Old Name:

**( JUHI BATHAM )**

W/o Ashmon Batham.

(546-B.)

New Name :

**( JUUHI KUMMAR )**W/o Ashmon Kumaar,  
124, Vrindavan Palace,  
Nipania Main Road, Indore (M.P.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि कुछ समय पूर्व मेरा नाम Ashmon Batham था, जिसे अब बदलकर Ashmon Kumaar कर लिया है। अतः अब मुझे मेरे पत्नी व बच्चों के समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नये नाम Ashmon Kumaar से ही लिखा पढ़ा जावे।

Old Name:

**( ASHMON BATHAM )**

(547-B.)

New Name :

**( ASHMON KUMAAR )**124, Vrindavan Palace,  
Nipania Main Road, Indore (M.P.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी कुछ अंकसूचियों में हमारा नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र अमृत लाल एवं लीलाबाई तथा कुछ अन्य अंकसूचियों में जितेन्द्र कुमार पुत्र अमृत लाल वती एवं लीलावती लिखा हुआ है, जो कि उपनाम रहित व त्रुटीपूर्ण है एवं मेरे आधार व पैनकार्ड में हमारा नाम जितेन्द्र मालवीय पुत्र अमृतलाल मालवीय एवं लीला बाई लिखा हुआ है, जो कि पूरा व सही नाम है। अतः मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में हमारा पूरा व सही नाम जितेन्द्र मालवीय पुत्र अमृतलाल मालवीय एवं लीला बाई ही लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

**( जितेन्द्र कुमार )**

पुत्र अमृतलाल वती एवं लीलावती.

(548-बी.)

नया नाम :

**( जितेन्द्र मालवीय )**पुत्र अमृतलाल मालवीय एवं लीला बाई,  
रामलीला मैदान, महिदपुर, उज्जैन (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वैभव वर्मा पिता स्व. श्री अरूण वर्मा आयु 34 वर्ष, निवासी डी-40, सिद्धार्थ नगर, नरेला शंकरा, जिला भोपाल मध्यप्रदेश का सूचित करता हूँ कि मेरा नाम वैभव वर्मा पिता स्व. श्री अरूण वर्मा था. मेरी समस्त अंकसूचियों,

डिग्रियों में एवं मूल-निवासी व अन्य दस्तावेज जैसे परिचय-पत्र, आधार कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, पेनकार्ड इत्यादि दस्तावेजों में भी मेरा नाम वैभव वर्मा पिता स्व. श्री अरूण वर्मा ही अंकित है. परन्तु वर्तमान में अपना सरनेम वर्मा के स्थान पर श्रीवास्तव करना चाहता हूँ. वर्तमान में मुझे वैभव श्रीवास्तव के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है और भविष्य में भी मुझे वैभव श्रीवास्तव के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( वैभव वर्मा )

(550-बी.)

नया नाम :

( वैभव श्रीवास्तव )

डी-40, सिद्धार्थ नगर,  
नरेला शंकरा, जिला भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे कुछ शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम लालजीत गंगादेव पाण्डेय (Laljeet Ganga Dev Pandey) लिखा गया है जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम लालजीत पाण्डेय (Laljit Pandey) पुत्र श्री गंगादेव पाण्डेय (Ganga Dev Pandey) है. जो कि मेरे सर्टीफिकेट, पेनकार्ड, आधार कार्ड व वोटर कार्ड में दर्ज है. अतः मुझे सही नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( लालजीत गंगादेव पाण्डेय )  
(Laljeet Ganga Dev Pandey)

(551-बी.)

नया नाम :

( लालजीत पाण्डेय )  
(Laljit Pandey)  
पुत्र श्री गंगादेव पाण्डेय,  
(Ganga Dev Pandey)  
सी-403, टॉप रेसीडेन्सी, मित्तल कॉलेज के पास,  
रासलाखेड़ी, भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शमीम बेगम पत्नि श्री अनवर अहमद सिद्धिकी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम शमीम सिद्धिकी मेरे पति के भारतीय संचार निगम लिमिटेड के सर्विस बुक में गलती से अंकित हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती शमीम बेगम पत्नि श्री अनवर अहमद सिद्धिकी है और मैं वर्तमान में श्रीमती शमीम बेगम के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पेनकार्ड, आधारकार्ड, बैंक की पास बुक में मेरा नाम श्रीमती शमीम बेगम पत्नि श्री अनवर अहमद सिद्धिकी के नाम से ही अंकित है एवं वर्तमान एवं भविष्य में भी इसी नाम श्रीमती शमीम बेगम पत्नि श्री अनवर अहमद सिद्धिकी के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी.

अतः मेरे पति के भारतीय संचार निगम लिमिटेड के सर्विस बुक में मेरा नाम श्रीमती शमीम सिद्धिकी के स्थान पर श्रीमती शमीम बेगम पत्नि श्री अनवर अहमद सिद्धिकी किया जाये, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

( शमीम सिद्धिकी )

(552-बी.)

नया नाम :

( शमीम बेगम )  
नि. शीतला कॉलोनी, आपागंज,  
लशकर, ग्वालियर.

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भागवती चौरसिया पत्नी श्री भारत भूषण चौरसिया, निवासी डॉ. नत्थानी के पास, घासमण्डी, छोटा बाजार, ग्वालियर (म.प्र.) मेरा पूर्व प्रचलित नाम सुजाता चौरसिया था जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम भागवती चौरसिया (Bhagwati Chaurasia) है.

अतः मुझे अब भविष्य में इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( सुजाता चौरसिया )  
(SUJATA CHAURASIA)

(554-बी.)

नया नाम :

( भागवती चौरसिया )  
(BHAGWATI CHAURASIA)

पत्नी-श्री भारत भूषण चौरसिया.

**CHANGE OF NAME**

Before marriage my name was Fatema Liyaquat Dairkee D/o Liyaquat Ali Dairkee after marriage I have changed my name Fatema Ali W/o Abdul Quadir Ali.

Old Name:

**( FATEMA LIYAQUAT DAIRKEE )**

(555-B.)

New Name :

**( FATEMA ALI )**Address—M.S. Road, Mandleshwar,  
Khargone (M.P.).**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स सरवर एण्ड कम्पनी की फर्म पंजीयक कार्यालय, फर्म्स एवं संस्थाएँ इन्दौर में पंजीयन क्रमांक 03/32/01/00067/11, दिनांक 04-07-2011 से पंजीकृत है। मेसर्स सरवर एण्ड कम्पनी की दिनांक 22-10-2016 एवं 25-11-2017 को सम्पादित की गई पार्टनरशिप डीड से दिनांक 30-06-2018 को निकहत खान पिता इल्यास खा, निवासी 89, सुभाष मार्ग, इन्दौर ने रिटायरमेंट डीड लिखा होने से फर्म की साझेदार नहीं रही है। आज दिनांक के बाद इनका फर्म से कोई लेना-देना नहीं है। इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत पालनार्थ एवं सूचनार्थ है।

मेसर्स सरवर एण्ड कंपनी,  
सरवर खान,  
खण्डवा रेल्वे स्टेशन,  
खण्डवा (म. प्र.).

(535-बी.)

**आम सूचना**

मेसर्स दिवाकर बिल्डकॉन जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 21-02-2012 क्रमांक 03/27/03/00210/12, पता 501, प्रिंसेस एम्पायर, 6/12, रसकोर्स रोड इन्दौर एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में दिनांक 12-07-2018 से (1) श्रीमती सविता पति सुधीर, निवासी अरेरा कॉलोनी, भोपाल, (2) श्रीमती रेखा पति सुकांत शर्मा, तिलक नगर, जयपुर जो कि दोनों पार्टनर रिटायर हो चुके हैं एवं इसी दिनांक से अन्य दो नये पार्टनर (1) दिलीप पिता लक्ष्मीलालजी, सुराना, गुलमार्ग प्राईड, कनाड़िया रोड इन्दौर, (2) श्रीमती अनुपमा पति पी.के. पाराशर, जबलपुर जो कि जोड़े गए हैं। अतः सूचित हो।

मेसर्स दिवाकर बिल्डकॉन,  
हर्षवर्धन धाकड़,  
(पार्टनर)  
501 प्रिंसेस एम्पायर, 6/12 रसकोर्स रोड,  
इन्दौर (म. प्र.).

(536-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री गिरिराज जी कोल्ड स्टोरेज पता 253 ग्राम बासखेड़ी जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 02/41/01/0180/16, दिनांक 22 जनवरी, 2016 है। जिसमें दिनांक 01-04-2018 से भागीदार श्रीमती रूबि अग्रवाल पुत्री श्री नरहरि गुप्ता, निवासी अरूण कुटीर, सिद्धेश्वर ट्रस्ट कॉलोनी, शिवपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गयी है। एवं इसी दिनांक 01-04-2018 से श्रीमती शिल्पी अग्रवाल पत्नि श्री आशीष अग्रवाल, निवासी अरूण कुटीर, सिद्धेश्वर ट्रस्ट कॉलोनी, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मेसर्स श्री गिरिराज जी कोल्ड स्टोरेज,  
आकाश गुप्ता,  
(भागीदार)  
शिवपुरी (म. प्र.).

(541-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स दिव्यांशी ट्रेक्टर्स चौबे नर्सिंग होम के ऊपर आकाशवाणी रोड छतरपुर मध्यप्रदेश जो कि 23-9-2011 को भागीदारी डीड तीन भागीदारन (1) श्री रविशंकर मिश्रा तनय रामसेवक मिश्रा आयु 42 वर्ष शांतिनगर कालोनी वार्ड

नं. 37, पुराना बिजावर नाका जिला छतरपुर मध्यप्रदेश, (2) श्री विवेक निधि घोष तनय श्री हरिसिंह घोष आयु 33वर्ष, निवासी बसारी दरवाजा छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश, (3) श्री बृजेश तिवारी तनय श्री जगदीश प्रसाद तिवारी, निवासी होटल फोर सीजन के सामने सागर रोड, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश की भागीदारी में उक्त डीड का पंजीयन फर्मों के रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सागर के यहां में क्रमांक 06/12/01/00119/11 से दिनांक 05-12-2011 से पंजीकृत हुई है. उक्त पश्चात उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 10-08-2018 को संशोधित डीड लिखी गई जिसमें भागीदार क्र. (3) श्री बृजेश तिवारी तनय श्री जगदीश प्रसाद तिवारी, निवासी होटल फोर सीजन के सामने सागर रोड जिला छतरपुर मध्यप्रदेश को हटाया गया है.

उक्त पृथक् किये गये भागीदार श्री बृजेश तिवारी का कोई अब इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है. इसलिये कोई व्यक्ति इस फर्म के बावत उक्त पृथक् हुये भागीदार श्री बृजेश तिवारी से कोई व्यवहार नहीं करे यदि करता है तो वह स्वयं उत्तरदायी होगा.

मेसर्स दिव्यांशी ट्रेक्टर्स,

श्री रवि शंकर मिश्रा तनय रामसेवक मिश्रा,  
श्री विवेक निधि घोष तनय श्री हरिसिंह घोष,

चौबे नर्सिंग होम के ऊपर,

आकाशवाणी रोड, छतरपुर (म. प्र.).

(540-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म गुलशन राय जैन II के नाम से शहर इन्दौर में स्थित 73, गुमास्ता नगर इन्दौर पर पार्टनरशिप फर्म है. जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 03/27/03/00051/12, दिनांक 29-05-2012 को हुआ है, उक्त फर्म का रजिस्टर्ड पता 73, गुमास्ता नगर इन्दौर था, दिनांक 05-01-2009 से भागीदारी फर्म के पते को परिवर्तित कर A-948 Scheme No. 114, Part-1, Indore M.P. कर दिया गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

वास्ते—फर्म गुलशन राय जैन II,

नवीन जैन,

नीती जैन,

(भागीदार).

(542-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म गुलशन राय जैन II के नाम से शहर इन्दौर में स्थित 73, गुमास्ता नगर इन्दौर पर पार्टनरशिप फर्म है. जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 03/27/03/00051/12 दिनांक 29-05-2012 को हुआ है, उक्त फर्म में कुल 4 भागीदार हैं (1) नवीन जैन पिता श्री गुलशन राय जैन, (2) प्रतिपाल टोंग्या पिता श्री रतनलाल टोंग्या, (3) प्रियंका टोंग्या पिता श्री प्रतिपाल टोंग्या, (4) डॉ. नीती जैन पति श्री नवीन जैन है जिसमें से (2) प्रतिपाल टोंग्या पिता श्री रतनलाल टोंग्या, (3) प्रियंका टोंग्या पिता श्री प्रतिपाल टोंग्या स्वेच्छा से दिनांक 05-01-2009 रिटायर हो गये हैं तथा शेष भागीदार यथावत रहेंगे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

वास्ते—फर्म गुलशन राय जैन II,

नवीन जैन,

नीती जैन,

(भागीदार).

(543-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म गुलशन राय जैन II के नाम से शहर इन्दौर में स्थित 73, गुमास्ता नगर, इन्दौर पर पार्टनरशिप फर्म है. जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 03/27/03/00051/12, दिनांक 29-05-2012 को हुआ है, उक्त फर्म में कुल 2 भागीदार हैं (1) नवीन जैन पिता श्री गुलशन राय जैन, (2) डॉ. नीती जैन पति श्री नवीन जैन है तथा दिनांक 01-08-2018 से नवीन जैन एण्ड सन्स HUF कर्ता श्री नवीन जैन नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा शेष भागीदार यथावत रहेंगे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

वास्ते—मेसर्स फर्म गुलशन राय जैन II,

नवीन जैन,

नीती जैन,

(भागीदार).

(544-बी.)



**आम सूचना**

हमारी फर्म मैसर्स राजेय मिनरल्स पता राजेय निवास सागर रोड़, छतरपुर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/01/00090/10 दिनांक 11-01-10 से एक भागीदारी फर्म है. जिसमें हम 1. वंदना सिंह, 2. अलका सिंह, 3 दीपेन्द्र सिंह, 4. विनय पटैरिया भागीदार हैं.

उक्त में से दिनांक 24-04-2013 को दीपेन्द्र सिंह एवं विनय पटैरिया फर्म पृथक् हो गये हैं एवं कृष्णपाल सिंह नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. हम तीनों भागीदारों ने आपसी सहमती से फर्म का पता परिवर्तित कर म.नं. 64, सनसिटी कोलॉनी, छतरपुर कर दिया है.

उक्त में से दिनांक 02-06-2015 को कृष्णपाल सिंह फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं अमरदीप सिंह सम्मिलित हो गये हैं.

उक्त में से दिनांक 01-04-2016 को अमरदीप सिंह भी फर्म से पृथक् हो गये हैं. अब दिनांक 09-08-2018 को 11 नये भागीदार फर्म में सम्मिलित हो गये हैं एवं अब फर्म के सभी भागीदारों के नाम 1. वंदना सिंह, 2. अलका सिंह, 3. अकील अहमद, 4. शकील अहमद, 5. प्रदीप सिंह, 6. देवेन्द्र सिंह परिहार, 7. राजेन्द्र कुमार शिवहरे, 8. प्रदीप कुमार अग्रवाल, 9. दिनेशचन्द्र अग्रवाल, 10. मोहम्मद वसीम, 11. देवेन्द्र शिवहरे, 12. धीरेन्द्र सिंह एवं 13. सूरज प्रसाद गुप्ता हैं. सो विदित हो.

मैसर्स राजेय मिनरल्स,  
**वंदना सिंह,**  
**अलका सिंह,**  
 (भागीदार)

(549-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री मां एसोसिएट्स में की भागीदारी फर्म है. पंजीयन क्रमांक 05/22/03/0046/16, पता-घर क्र. 12/652, नेहरू नगर, तहसील हुजूर, जिला रीवा मध्यप्रदेश है. यह कि फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुये पार्टनर नं. 3 श्री पंकज सिंह करचुली दिनांक 18-09-2018 अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं. जिसका आज दिनांक से फर्म की किसी भी गतिविधि में कोई लेना-देना नहीं है. उक्त फर्म के नये भागीदार के रूप में पार्टनर 1. अभिषेक बहेती, 2. दीपनारायण पाण्डेय जो फर्म के भागीदार के रूप में कि दिनांक 18-09-2018 से शासित हो गये हैं. अतः यह भागीदार यथावत रहेंगे.

वास्ते—  
 फर्म श्री मां एसोसिएट्स,  
**दीपनारायण पाण्डेय,**  
 (पार्टनर)  
 घर नं. 12/652, नेहरू नगर,  
 तहसील हुजूर, जिला रीवा.

(553-बी.)

**विविध****न्यायालयों की सूचनाएं**

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाहा**

प्र. क्र. 02/बी-113(1)/2017-18.

**फार्म-4**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रुल्स 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]  
 समक्ष : पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाहा.

चूंकि प्रार्थी श्री सौरभ पिता सुरेशचन्द्र जैन निवासी 315/16 भवानी रोड़ मैदान फलोर सनावद तहसील सनावद एवं अन्य की ओर से “श्री कुंदकुंद कहान दिगम्बर जैन मुमुक्षु स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट” सनावद तहसील सनावद जिला-खरगोन द्वारा ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहे. निर्धारित अवधि

समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	नगद	-	-	3,32,194.00
2.	अचल सम्पत्ति	नगर सनावद वा.क्रं.-15 नया-10 में 1210 वर्गफीट भू-खण्ड	-	-
3.	अचल सम्पत्ति	नगर सनावद वा.क्रं.-15 नया-10 में 877.59 वर्गफीट भू-खण्ड	-	-

(1119)

सत्येन्द्र सिंह,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-कोतवाली, जबलपुर**

प्र. क्र. 27/बी-113/2017-18.

**फार्म-4**

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक रानी दुर्गावती शोध संस्थान, जबलपुर द्वारा डॉ. पवन स्थापक, पता:- जनज्योति सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल 1051, गोल बाजार जबलपुर मध्यप्रदेश द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के नियम-4 के अधीन नीचे अनुसूचित में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसमें न्यासियों का नाम एवं पता तथा निर्धारित पद निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम/पिता का नाम	पता
1.	डॉ.पवन स्थापक	जनज्योति सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल 1051, गोल बाजार जबलपुर म.प्र.
2.	डॉ. विपिन बिहारी, ब्यौहार	
3.	डॉ. अवध बिहारी श्रीवास्तव	
4.	डॉ. विजय आनंद, मरावी	
5.	अखिलेश जैन	
6.	प्रो. ए डी एन बाजपेयी	
7.	पुरुषेन्द्र कौरव	
8.	प्रो. कपिल देव मिश्र	
9.	डॉ. अतुल दुबे	

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 20-09-2018 को विचार के लिये नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों/पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

(1120)

प्र. क्र. 28/बी-113/2017-18..

**फार्म-4**

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक वेणु पांडुरंग सेवा न्यास, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा श्रीमती मीनाक्षी विस्पुते पति स्व. श्री रमेश विस्पुते पता 871, मदनमहल, आमनपुर, जबलपुर न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के नियम-4 के अधीन नीचे अनुसूचित में दर्शायी गई सम्पत्ति

लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यासियों का नाम एवं पता तथा निर्धारित पद निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम/पिता का नाम	पता
1.	श्रीमती मिनाक्षी पति स्व. श्री रमेश विस्फुते	871, मदनमहल, आमनपुर, जबलपुर
2.	श्री मदनगोपाल पिता श्री केदारनाथ	काली मंदिर के पास, कटरा, अधारताल, जबलपुर
3.	श्री ज्योति अहिरराव पति श्री राजेन्द्र अहिरराव	ग्राम देवड़ा, जिला नासिक (महाराष्ट्र)
4.	श्री प्रशांत विरपुते पिता स्व. श्री रमेश विस्फुते	871, मदनमहल, आमनपुर, जबलपुर
5.	श्री प्रकाश विरपुते पिता स्व. श्री रमेश विस्फुते	871, मदनमहल, आमनपुर, जबलपुर

अतः एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को विचार के लिये नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों/पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

मुनीष सिंह सिकरवार,

(1121)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-रांझी, जबलपुर**

रा.प्र.क्र. 0002/ब-113/2017-18.

#### प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक ट्रस्ट श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन, न्यास, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड, रांझी बस्ती, जबलपुर के द्वारा सचिन कुमार जैन पिता श्री सुरेशचंद जैन के द्वारा न्यास पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के नियम-4 के अधीन नीचे अनुसूचित में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यासियों का नाम एवं पता तथा निर्धारित पद निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम/पिता का नाम	पता	
1.	सचिन जैन पिता श्री सुरेश चंद जैन	अम्बेडकर वार्ड, रांझी, जबलपुर (म.प्र.)	अध्यक्ष
2.	अभिलाष जैन पिता श्री आजाद जैन	रांझी बाजार, मेन रोड, जबलपुर	सचिव
3.	सतीश जैन पिता मगनलाल जैन	अम्बेडकर वार्ड, रांझी, जबलपुर (म.प्र.)	उपाध्यक्ष
4.	नीरज कुमार जैन पिता श्री नरेन्द्र जैन	929, अम्बेडकर वार्ड, रांझी बस्ती, जबलपुर	कोषाध्यक्ष

अतः एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 19 अक्टूबर, 2018 को विचार के लिये नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों/पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

#### अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम एवं पता : श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन, न्यास, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड, रांझी बस्ती, जबलपुर.

2. न्यास की आय का साधन : दान एवं चंदे द्वारा.  
 3. चल सम्पत्ति : निरंक.  
 4. अचल सम्पत्ति : श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर  
 ग्राम-रांझी, नं. बं. 403, पं.ह.नं. 25/22, खसरा नं. 94 का हिस्सा,  
 रकबा 2000 वर्गफुट भूमि.

जारी दिनांक-11-09-2018.

(1103)

जे. पी. यादव,  
 अनुविभागीय दण्डाधिकारी.

**कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर**

प्रकरण क्रमांक 01/बी-113/2017-18.

**प्रारूप-पांच**

[ देखिये नियम 5(1) ]

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(1) व 5(2) के अन्तर्गत ]

समक्ष : पंजीयक, लोक न्यास, शुजालपुर, जिला शाजापुर के समक्ष.

आवेदक अध्यक्ष श्री नरेंद्रसिंह बैस पिता रूद्रप्रतापसिंह बैस, निवासी बेरछा दातार, तहसील कालापीपल के द्वारा मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-2 की उप-धारा (4) के अभिप्राय के लिये श्री सिद्ध तीर्थ स्थल माँ पार्वती अजनाल नदी संगम माता मंदिर देहरीघाट, ग्राम सुखलिया पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है. जिस पर दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल संपत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 1 माह के अंदर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

1. न्यास का मुख्यालय : ग्राम सुखलिया, तहसील कालापीपल.  
 2. कार्यक्षेत्र : ग्राम सुखलिया, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म. प्र.)  
 3. न्यास का उद्देश्य : धार्मिक एवं पारमार्थिक  
 4. न्यास के आय के साधन : दान, बोली, चढावा, धर्मशाला का किराया आदि से.

चल संपत्ति का विवरण इस प्रकार है-

**चल संपत्ति**

नर्मदा ज्ञावुआ ग्रामीण बैंक शाखा कालापीपल में बचत खाता क्रमांक 014610210000034 अनुसार वर्तमान में 1000/- रुपये जमा.

**अचल सम्पत्ति**

ग्राम सुखलिया स्थित भूमि सर्वे नं. 3/1 शामिल नंबर 3/2, 3/3/2, 3/534/1 कुल रकबा 2.090 हैक्टर. माताजी का मंदिर, भेरु महाराज का मंदिर, नवग्रह मंदिर, शिवालय हनुमान मंदिर, यज्ञशाला देहरीघाट स्थान पर स्थित है.

पेशी दिनांक 30 अक्टूबर, 2018

(1122)

पार्थ जैसवाल,  
 अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर**

प्र.क्र. 08/2017-18 /बी-113(1)

ग्वालियर, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

**प्रारूप-4**

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए ]

श्री सतीश सिंह सिकरवार पुत्र श्री गजराज सिंह सिकरवार, निवासी शंकर चौक, ललितपुर कॉलोनी, लशकर, ग्वालियर मध्यप्रदेश

लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयक के लिए आवेदन किया है। एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक.....को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दें, जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक .....को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

#### अनुसूची

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम व पता      | : | जन उत्थान न्यास, शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी,<br>लशकर, ग्वालियर. शहर व जिला ग्वालियर. |
| लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन |   |   |
| 2. चल सम्पत्ति                 | : | 3000/- रुपये.   |
| अचल सम्पत्ति                   | : | निरंक.  |

सी. बी. प्रसाद,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(1102)

#### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, सिलवानी, जिला रायसेन

रा.प्र.क्र.-01/बी-113/एस.डी.ओ./17-18-18.

#### प्रारूप-5

[देखें नियम-6]

#### “सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 में धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री अनिल जैन, सिलवानी के समक्ष।

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 1951 (क) 30 की धारा-2 की उपधारा-4 के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिये मैं, अनिल कुमार जैन, लोक न्यासों का पंजीयक सिलवानी, जिला रायसेन मेरे न्यायालय में 2018 के 25 सितम्बर, 2018 दिवस पर कथित अधिनियम, की धारा-5 की उपधारा (1) में यह अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

#### अनुसूची

- ◆ रामजानकी मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट ग्राम चुन्हेटिया, तहसील सिलवानी.
- ◆ रामजानकी मंदिर स्थित ग्राम चुन्हेटिया, तहसील सिलवानी.
- ◆ भूमि ख. नं. 14/1, रकबा 6.070 हे. स्थित ग्राम चुन्हेटिया, तहसील सिलवानी.

**अचल संपत्ति:-** ट्यूब बैल, एक मकान कच्चा 40x15, 3 कमरे का मकान आगे पीछे, 2 दहलान तथा खाली भूमि 15x6 फिट रामजानकी मंदिर के नाम जो स्व. रामवती बाई द्वारा दान पत्र में मंदिर को दी गई थी.

**चल संपत्ति:-** झालर 2 कीमत चार सौ रुपये घंटा 1 कीमत दो सौ रुपये, गुंड 1 कीमत तीन सौ रुपये, कोपर एक कीमत दो सौ रुपये, गंजा स्टील का 1 कीमत दो सौ रुपये, थाली 1 तांबे की कीमत 500 रुपये, लोटा 1 तांबे का कीमत दो सौ रुपये, थाली स्टील की 2 कीमत दो सौ रुपये, स्टील के लोटा 2 कीमत 400 रुपये, स्टील के ग्लास 4 कीमत 50 रुपये, 3 गंजी कीमत 50 रुपये.

**अनिल कुमार जैन,**

(1104)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल**

प्र.क्र. 04/बी-113/2017-18.

**सूचना**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अंतर्गत]

जैसाकि "सिमकॉन न्यास" मकान नंबर 30 सेक्टर-4, ग्लोबल पार्क सिटी कटारा हिल्स, तहसील हुजूर, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हों या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ती पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

1. ट्रस्ट का नाम व पता : "सिमकॉन न्यास"  
मकान नंबर 30 सेक्टर-4, ग्लोबल पार्क सिटी कटारा हिल्स, तहसील हुजूर, भोपाल.
2. अचल सम्पत्ति : निरंक.
3. चल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की पदमुद्रा से जारी किया गया.

**राजकुमार खत्री,**

(1105)

अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड, बुरहानपुर**

प्र.क्र. बी/113-2017-18.

(नियम पाँच-1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक श्री डोंगेश्वर महोव आश्रम, गौ सेवा समिति ट्रस्ट डोंगरगाँव सचिव श्री कनीराम पिता दगडू, निवासी डोंगरगाँव, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 04 अगस्त, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. वर्किंग ट्रस्टी एवं सचिव श्री कनीराम पिता दगडू, निवासी डोंगरगाँव, बुरहानपुर श्री डोंगेश्वर महोव आश्रम गौ सेवा समिति, ट्रस्ट डोंगरगाँव, जिला बुरहानपुर.
2. चल सम्पत्ति . .
3. अचल सम्पत्ति . .

(1106)

**प्रगति वर्मा,**

पंजीयक.

## वनसंबन्धी घोष-विक्रय

इमारती, जलाऊ लकड़ी, व्यापारिक एवं औद्योगिक बाँस परिवहन समूहों हेतु

निविदा/नीलाम की सूचना बैतूल वन वृत्त बैतूल ( मध्यप्रदेश )

सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि, बैतूल वन वृत्त के अंतर्गत बैतूल उत्पादन वनमंडल के विभिन्न समूहों से संबंधित काष्ठागारों एवं बाँसगारों में इमारती, जाऊ लकड़ी, व्यापारिक एवं औद्योगिक बाँस के परिवहन करने के इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से निविदायें, निर्धारित प्रारूप में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के नाम पर निम्नलिखित तिथियों में अपराह्न 02: 00 बजे दिन तक काष्ठागार बैतूल के नीलाम हॉल में निम्नानुसार दिनांक को आमंत्रित की जाती हैं. प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न 03: 00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष काष्ठागार, बैतूल के नीलाम हॉल में खोली जावेगी.

प्रथम दौर निविदा दिनांक/दिन	द्वितीय दौर निविदा दिनांक/दिन	तृतीय दौर निविदा दिनांक/दिन	तृतीय दौर निविदा उपरांत दिनांक/दिन
27/09/2018 गुरुवार	04/10/2018 गुरुवार	09/10/2018 मंगलवार	09/10/2018 मंगलवार

तृतीय दौर के पश्चात् शेष बचे समूहों का नीलाम द्वारा निर्वर्तन दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 दिन मंगलवार को अपराह्न 04:30 बजे से किया जावेगा. जिसमें सत्यंकार की राशि के रूप में रुपये 3,000/- (तीन हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट या डिपाजिट एट काल के रूप में लिये जायेंगे.

निर्धारित निविदा का प्रारूप (फार्म) निविदा शर्त एवं परिवहन समूहों से संबंधित जानकारी वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल कार्यालय बैतूल से रुपये 100/- (एक सौ रुपये) की अदायगी करने पर प्राप्त की जा सकेंगी.

पी. एस. चंपावत,  
मुख्य वनसंरक्षक,  
बैतूल.

(1101)

## अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 28 सितम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

ईशा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर/जी.डब्ल्यू.आर./491, दिनांक 12 फरवरी 2016 है, के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1518, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत ईशा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जाता है।

(1098)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

आदर्श महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर/जी.डब्ल्यू.आर./608, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 है, के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका। जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1503, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया।

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत आदर्श महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अजय दुबे, C.I. को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जाता है।

अनुभा सूद,  
उप-पंजीयक.

(1099)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दासौर

मन्दासौर, दिनांक 03 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./1410./परि./2018.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कंवला, तहसील भानपुरा, जिला मन्दासौर जिसका पंजीयन क्रमांक 1082, दिनांक 09-10-2014 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/610/परि./2018, दिनांक 08-03-2018 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दासौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कंवला, तहसील भानपुरा, जिला मन्दासौर को परिसमापन में लाता हूँ श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, मन्दासौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(1108)



मन्दसौर, दिनांक 10 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./1439./परि./2018.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत दुर्गा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बसई, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 786, दिनांक 30-10-1995 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1324/परि./2018, दिनांक 27-06-2018 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुर्गा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बसई, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ. श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1109)

मन्दसौर, दिनांक 10 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./1440./परि./2018.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत जय जोगणिया मत्स्य सहकारी समिति मर्या., असावती, तहसील शामगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 1029, दिनांक 28-05-2013 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1326/परि./2018, दिनांक 27-06-2018 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जय जोगणिया मत्स्य सहकारी समिति मर्या., असावती, तहसील शामगढ़, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ. श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1110)

मन्दसौर, दिनांक 10 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./1441./परि./2018.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत पृथ्वी बीज सहकारी समिति मर्या., खुंटी, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 1355, दिनांक 04-02-2006 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1323/परि./2018, दिनांक 27-06-2018 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत पृथ्वी बीज सहकारी समिति मर्या., खुंटी, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ. श्री व्ही. के. खेरीया, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1111)

मन्दसौर, दिनांक 10 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./1442./परि./2018.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत मयूर वाहिनी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मेरियाखेड़ी, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 1448, दिनांक 27-10-2016 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1325/परि./2018, दिनांक 27-06-2018 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मयूर वाहिनी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मेरियाखेड़ी, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ श्री व्ही. के. खेरीया, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1112)

मन्दसौर, दिनांक 10 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./1443./परि./2018.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत कृष्णा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., चिल्लोद पिपलिया, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 949, दिनांक 22-06-2011 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1321/परि./2018, दिनांक 27-06-2018 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कृष्णा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., चिल्लोद पिपलिया, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ श्री एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1113)

ओ. पी. गुप्ता,  
उप-पंजीयक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

मन्दसौर, दिनांक 10 सितम्बर, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1157.—प्रमारी दुग्ध शीत केन्द्र आष्टा का पत्र दिनांक 29-06-2018 के अनुसार निर्माकित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाएं विगत दो वर्ष या इससे अधिक समय से अकार्यशील हैं एवं अंकेक्षण कक्ष टीप अनुसार संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था मे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र/एफ-5-1-9-पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सिहोर निर्माकित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(क) के अन्तर्गत निर्माकित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाय. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र

का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, जता खेडा	1339/24-05-2006
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, कानराखेडी	1045/19-07-1994
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, बडझीरी	1555/09-09-2011
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गउखेडी	1294/30-04-2005
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गोपालपुर	1041/19-07-1994
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, लसूडिया सूखा	1044/19-07-1994
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, बादरिया हाट	964/09-11-1989
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, नौगाँव	1323/23-12-2005
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, भीलखेडी बरामद	1526/13-12-2010
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, फूल मागरा	1322/12-03-2005
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गोलू खेडी	1219/13-04-2003
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पिपल्या सलासी	814/28-01-1984
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, बैदाखेडी	697/08-04-1976
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, लसूडिया विजयसिंह	1034/19-07-1994
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, आन्नदीपुरा	948/25-10-1989
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, टिगरिया	965/09-11-1989

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

**भूपेन्द्र प्रताप सिंह,**  
उप-पंजीयक.

(1107)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास

देवास, दिनांक 30 अगस्त, 2018

क्र./परि./2018/2472.—जय अम्बे मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., मेलपिपल्या पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 31 मार्च, 2010 है, संस्था के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 4302/11 मई, 2018 से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। निर्वाचन अधिकारी के आवेदन दिनांक 14 जून, 2018 अनुसार संस्था द्वारा सदस्य सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है ना ही संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। ऐसी स्थिति में संस्था के निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2257, दिनांक 02 अगस्त, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जबाव प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की और से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय अम्बे मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., मेलपिपल्या पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 31 मार्च, 2010 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

**मनोज जायसवाल,**  
उप-पंजीयक.

(1116)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2018/1644.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./2966, दिनांक 19 जुलाई, 2017 के द्वारा प्राथ. विस्थापित माँ नर्मदा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., धुल्लाघाट (बरमी), जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1029 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. विस्थापित माँ नर्मदा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., धुल्लाघाट (बरमी), जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1029 का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1117)

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2018/1645.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./3686, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 के द्वारा श्री राम लघु आय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर पंजीयन क्रमांक 207 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अरविंद जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि शेष न रहने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राम लघु आय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर पंजीयन क्रमांक 207 का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. प्रजापति,

उप-पंजीयक.

(1118)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 01 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1204.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1158, दिनांक 11 जुलाई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्वा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक डीआर/आगर/41, दिनांक 22 जनवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 22 जुलाई, 2018 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने का संकल्प पारित किया गया है। संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक नामांकित प्रबंध समिति का गठन भी किया गया है। दुग्ध शीतकेन्द्र पर्यवेक्षक, आगरा द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का अनुशंसा गयी है।

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय दुग्ध शीतकेन्द्र आगरा की अनुशंसा एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगरा-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आवक्या, जिला आगरा-मालवा (पंजीयन क्रमांक डीआर/आगर/41, दिनांक 22 जनवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नानुसार नामांकित प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करती हूँ:-

क्र.	नाम पदाधिकारी	पद
1.	श्रीमति सम्पतबाई पत्नि श्री शंकरलाल	अध्यक्ष
2.	श्रीमति रेशमबाई पत्नि श्री मदनसिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति रामुबाई पत्नि श्री अर्जुनसिंह	संचालक
4.	श्रीमति चायताबाई पत्नि श्री हरिजी	संचालक
5.	श्रीमति अनोखीबाई पत्नि श्री चन्द्रसिंह	संचालक
6.	श्रीमति मुन्नीबाई पत्नि श्री कालुसिंह	संचालक
7.	श्रीमति गीताबाई पत्नि श्री शंकरलाल	संचालक
8.	श्रीमति हिम्मतबाई पत्नि श्री नारायणसिंह	संचालक
9.	श्रीमति सीमाबाई पत्नि श्री कमलसिंह	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 01 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1114)

आगरा-मालवा, दिनांक 21 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1298.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगरा-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1149, दिनांक 11 जुलाई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालरिया, जिला आगरा-मालवा (पंजीयन क्रमांक डीआर/आगर/88, दिनांक 30 अप्रैल, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2018 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने के संकल्प पारित किया गया है। संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक नामांकित प्रबंध समिति का गठन भी किया गया है। प्रभारी प्रबंधक दुग्ध शीतकेन्द्र सुसनेर द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का अनुशंसा गयी है।

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय दुग्ध शीतकेन्द्र सुसनेर की अनुशंसा एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगरा-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालरिया, जिला आगरा-मालवा (पंजीयन क्रमांक डीआर/आगर/88, दिनांक 30 अप्रैल, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये

पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नानुसार नामांकित प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करती हूँ:-

क्र.	नाम पदाधिकारी	पद
1.	श्रीमति धर्मकुंवर बाई पत्नि श्री रामचन्द्र	अध्यक्ष
2.	श्रीमति कविताबाई पत्नि श्री गोर्वधनसिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति मानकुंवरबाई पत्नि श्री कालुसिंह	संचालक
4.	श्रीमति गंगाबाई पत्नि श्री पुराजी	संचालक
5.	श्रीमति कालीबाई पत्नि श्री हरिसिंह	संचालक
6.	श्रीमति हरकुंवरबाई पत्नि श्री रामलाल	संचालक
7.	श्रीमति प्रभुबाई पत्नि श्री इन्दरसिंह	संचालक
8.	श्रीमति पार्वताबाई पत्नि श्री जीतनारायण	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 21 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1115)

श्वेता रावत,  
प्र. उप-पंजीयक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर, 2018-आश्विन 13 शके 1940

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है. जिला कटनी को छोड़कर राज्य के शेष जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील कटनी(कटनी), में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **जुताई.**— जिला दमोह, शाजापुर, धार, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा व सिवनी में जुताई कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**— जिला शिवपुरी, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **चारा.**— राज्य के जिला शिवपुरी में पशुओं के लिये चारा अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. कैलारस	..				
6. सबलगढ़	..				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
4. वीरपुर	..				
5. बडोदा	..				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. रौनमिहोना	..				
7. गोरमी	..				
8. मौ	..				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	..				
4. चिनोर	..				
5. घाटीगांव	..				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दरगढ़	..				
4. बढौनी	..				
5. भाण्डेर	..				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त	7. पर्याप्त
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त
2. पिछोर	..		(2) ..	चारा अपर्याप्त	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामल्हरा	..				
8. महाराजपुर	..				
9. चंदला	..				
10. धुवारा	..				
11. लवकुश नगर	..				
12. बक्सवाहा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. रेपुरा	..				
6. अमानगंज	..				
7. देवेन्द्र नगर	..				
8. सिमारिया	..				
9. शाहनगर	..				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-(बधेलान)	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. कोठर	..				
10. बिरसिंहपुर	..				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मरुगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुर(कर्चुलियान)	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	..				
4. बुढ़ार	..				
5. गोहपारू	..				
6. जैतपुर	..				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. चँदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	..				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. बहरी	..				
7. रामपुरनैकिन	..				
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	..				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. दलोदा	..				
9. धुंधड़क्का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
<b>23. जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. चन्द्रशेखर आ. नगर	..				
6. उदयगढ़	..				
7. भामरा	..				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. हातोद	..				
5. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. सनावद	..				
10. झिरन्या	..				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. अंजड	..				
8. बरला	..				
9. निवाली	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..				
3. खालवा	..		(2) ..		
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..		
3. नेपानगर	..				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..		(2) ..		
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..		
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. समसाबाद	..				
9. त्यौंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैरागड़	..		(2) ..		
3. हुजूर	..				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) गन्ना समान.		
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	..				
4. शाहपुर	..				
5. चिचोली	..				
6. मुल्ताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	..			चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..		(2) ..		
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढी	..				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हंडिया	..				
6. टिमरनी	..				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	..				
4. पाटन	..				
5. मझौली	..				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	..				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	..			चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	..		(2) ..		
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कटनी)	1.2				
6. विजयराघवगढ़	..				
7. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	..		4.(1) उड़द, मूँग ग्रीष्म कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	..				
4. गाडरवारा	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मैनपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	..				
4. निवास	..				
5. नारायणगंज	..				
6. घुघरी	..				
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	..				
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..				
4. जून्नारदेव (जामई)	..				
5. सोसर	..				
6. बिछुआ	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. उमरेठ	..				
10. मोहखेड	..				
11. हरई	..				
12. चांद	..				
13. पांहुर्णा	..				
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	..				
4. कवलारी	..				
5. लखनादोन	..				
6. छपारा	..				
7. घनोरा	..				
8. घंसोर	..				
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	..				
4. बैहर	..				
5. वारासिवनी	..				
6. कटंगी	..				
7. लालबर्गा	..				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. बिरसा	..				
11. खैरलांजी	..				

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.